रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235122
CG-DL-E-13042022-235122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1718] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944
No. 1718] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1805(अ).—यतः, मै. माइलस्टोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य के ग्राम चोक्कानाहल्ली तालुका, येलहंका हुबली बंगलौर उत्तर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 2344(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2010 एवं का.आ. 2344(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2010 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित एवं 2.92 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. माइलस्टोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 2.89 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, कर्नाटक सरकार ने उनके पत्र सं. सीआई 53 एसपीआई 2022 दिनांक 21 मार्च, 2022 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 2.89 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। इसके अलावा, डेवलपर की अन्डरटेकिंग दिनांक 30.03.2022 के अनुसार, अनधिसूचित भूमि का उपयोग औद्योगिक इकाइयों को आवंटन के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 2.89 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 4.30 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	चोक्कानाहल्ली	32/1 (पी)	0.61
2.		37	0.13
3.		39	0.72
4.		40	0.72
5.		41	0.26
6.		44	0.45
कुल			**2.89**
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			4.30

[फा. सं. एफ.1/252/2007-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1805(E).—Whereas, M/s. Milestone Buildcon Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at Village Chokkanahalli Taluka, Yelahanka Hobli, Bangalore North, in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 10.11 hectares and de-notified an area of 2.92 Ha vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 2344(E) dated 27th September, 2010 and S.O.1183(E) dated 07.04.2017, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Milestone Buildcon Private Limited has now proposed for de-notification of 2.89 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. CI 53 SPI 2022, dated 21st March, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 2.89 hectares of the Special Economic Zone. Further, as per Developer's undertaking dated 30.03.2022, the land proposed for de-notification would be utilized for development of Domestic Tariff Area for allotment to Industrial units;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 2.89 hectares, thereby making resultant area as 4.30 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION

S. No.	**Name of Village**	**Survey No.**	**Area to be de-notified (in Hectares)**
1.	Chokkanahalli Taluka	32/1(P)	0.61
2.		37	0.13
3.		39	0.72
4.		40	0.72
5.		41	0.26
6.		44	0.45
Total			**2.89**
Total Remaining Area of SEZ after above deletion			4.30

[F. No. F.1/252/2007-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA